

पत्र व्यवहार "कुलसचिव" को संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं। पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी।



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

दूरभाष : 2527532
तार : युनिवर्सिटी
फैक्स : 0731-529540

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर - 452 001
दिनांक: 3 MAR 2026

क्र. शैक्षणिक / सम्बद्धता / 2025 / 443

प्रति,

प्राचार्य / संचालक,
विक्रांत इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्टीग्रेटेड एण्ड एडवांस स्टडीज,
ग्राम बोरखेडी, तह. महु, जिला-इन्दौर।

विषय:- महाविद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्धता निरन्तरता शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिये प्रदान करने विषयक।

सन्दर्भ: आपका आवेदन पत्र क्र. VIAS/Renewal of Affiliation/2025-26/3593 दिनांक 06 / 03 / 2025

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके आवेदन के संदर्भ में विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 18/04/2024 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 12/06/2024 में लिये गये निर्णयानुसार महाविद्यालय की शैक्षणिक सत्र 2024-25 में निम्नानुसार पाठ्यक्रमों की सशर्त अस्थाई सम्बद्धता निरन्तरता जारी है:-

क्र.	महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या
1	बी.कॉम.	60
2	बी.कॉम. (कम्प्यूटर एप्लीकेशन कॉमर्स विषय के साथ)	60
3	बी.कॉम. (टेक्स प्रोसिजर कॉमर्स विषय के साथ)	60

निर्देश:-

- राज्य शासन के निर्देशानुसार एवं प्रवेश नियमावली के अनुसार प्रवेश संबंधी कार्यवाही का पूर्ण पालन किया जावे।
- महाविद्यालय के आकास्मिक निरीक्षण में यदि पाया जाता है कि यू.जी.सी. मापदण्ड अनुरूप छात्र संख्या अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति परिनियम 28 के अन्तर्गत नहीं की गई है तो सम्बद्धता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय/संस्था का होगा।
- विश्वविद्यालय परिनियम क्रं.27 एवं 28 का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे।
- महाविद्यालय ऑल इण्डिया सर्वे आन हायर एज्युकेशन aishe.gov.in के पोर्टल पर महाविद्यालय से संबंधित सभी जानकारी आवश्यक रूप से अपलोड करें।
- सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय का सम्पूर्ण परिसर CCTV कैमरों की निगरानी में हो तथा निर्धारित संख्या में मान्यता प्राप्त सुरक्षा एजेंसि के सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाना सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

दिनांक: 3 MAR 2026

पृ.क्र. शैक्षणिक / सम्बद्धता / 2025 /

प्रतिलिपि:-

- उपकुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय/प्रशासन) दे.अ.वि.वि. इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रमारी, एम.पी.ऑनलाईन, दे.अ.वि.वि. इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

निदेशक,

महाविद्यालय विकास परिषद्